न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 19/2025
जीसीएमएस सं0 :: 2025/33

1. सुवालाल 83 वर्ष पुत्र श्री गंगूराम जाति बलाई नि0 गांव मण्ढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
2. भंवरलाल 76 वर्ष पुत्र श्री गणपतराम जाति बलाई नि0 गांव मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
3. प्रभातराम 59 वर्ष पुत्र श्री गणपतराम जाति बलाई नि0 गांव मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
4. सेडूराम 57 वर्ष पुत्र पुत्र श्री गोपीराम जाति बलाई नि0 गांव मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
5. सीताराम 50 वर्ष पुत्र श्री गोपीराम जाति बलाई नि0 गांव मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।
6. मदनलाल 39 वर्ष पुत्र श्री गोपीराम जाति बलाई नि0 गांव मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।

– वादी,

बनाम

1. प्रताप पुत्र श्री बक्शा जाति नायक नि0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
2. भू अधिकारी तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर।
3. पटवारी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
4. हर खास आम

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. 1. श्री लक्ष्मणराम , वकील वादीगण की ओर से।
2. ,, कैलाश स्वामी, वकील वादीगण की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88, 188, 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 05.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ग्राम मंढा मदनी के मूल निवासी है। वादीगण के दादा परदादा यही के निवासी चले आ रहे है तथा पुश्तैनी रूप से काश्त करते चले आ रहे है। कृषि भूमि ख0नं0 1441 रकबा 1.2600 है0 ख0नं0 1442 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2900 है0 वाके ग्राम मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित चली आ रही है। जिसपर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से प्रति0सं0 1 का नाम अंकन चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी ग्राम मंढा मदनी में संवत् 2023 में गिरदावरी में काश्त अंकन चली आ रही है। भूमि पर वादीगण काश्त अपने दादा, परदादा की कब्जा काश्त जो काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही चली आ रही है। इसके बाद गंगूराम पुत्र रतना फौत होने पर कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है, जो गिरदावरी संवत् 2018–2019 में अंकन है तथा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023 में

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with OKEN Scanner

भी चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में काश्तकारी अधिनियम लागू होने से आज तक प्रताप पुत्र बक्सा जाति नायक का ही नाम अंकन चला आ रहा है। प्रताप पुत्र बक्सा का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। संपूर्ण भूमि वादीगण के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया । इस वजह से प्रतापपुत्र बक्सा का नाम ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत रूप से अंकित चला आ रहा है। काश्तकार को फसली ऋण व अन्य कार्यो में आवश्यकता होने पर अपने कब्जे काश्त शुद्धा भूमि को अपने पक्ष में उदघोषित करवाना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण का परिवार पिछले 70 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आवास निवास करते आ रहे है। इससे पूर्व वादीगण के पिता व दादा उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा था। इसके बाद वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का कभी अध्ययन नहीं किया। उक्त भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में प्रताप पुत्र श्री बक्सा का नाम चला आ रहा है। वादीगण मजदूरी व काश्त के कार्यो में व्यस्त रहने के कारण कभी भी फसली ऋण की आवश्यकता नहीं हुई इसलिए राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं कर सके। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उद्घोषणा अपने नाम की नहीं करवा सके। ख0नं01441, 1442 कुल रकबा 1.2900 है0 में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.4300 है0 भूमि पर सुवालाल कब्जा काश्त कर रहा है। भंवरलाल, प्रभातराम ख0नं0 1441, 1442 कुलरकबा 1.2900 है0 में से प्रत्येक के 1/6 हिस्सा कुल रकबा 0.4300 है0 भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे है व ख0नं0 1441, 1442 कुल रकबा 1.2900 है0 में से प्रत्येक के 1/9 हिस्सा कुल रकबा 0.4300 है0 भूमि पर सेडूराम, सीताराम व मदनलाल कब्जा काश्त कर रहे है। वादीगण का सजरा खानदान मद सं0 5 अनुसार है। वादीगण को कई बार दीगर भूमाफियों व आस– पडौस के द्वारा धमकी दी जा रही है । उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करेगें एंव भूमि को तुम्हारे से छीन लेगें। वादीगणों द्वारा जब जमाबंदी का अध्ययन करवाया तब पता चला कि उक्त भूमि राजस्व रिकाडें तुम्हारे नाम नहीं है। प्रताप पुत्र बक्सा नाईक के नाम चली आ रही है। उक्त भूमि पर तुम्हारा 70 सालों से कब्जा चला आ रहा है।परन्तु राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा नाम अंकित क्यों नहीं करवाया। उक्त भूमि का स्वामित्व राजस्व रिकॉर्ड में प्राप्त करने के लिए न्यायालय में दावा करना पडता है। हमारे द्वारा राजस्व रिकॉर्ड निकलवाने पर पता चला कि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रताप पुत्र बक्सा का नाम ही जमाबंदी में बिना किसीकब्जे काश्त के ही चला आ रहा है। दिनांक 15.01.2025 को आस पडौस द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर दावा लाना लाजिम आया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 9 की उप मद क, ख, ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रकरण में नायब तहसीलदार, पलसाना से मौका रिपोर्ट तलब की जाने पर नायब तहसीलदार, पलसाना ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/1412 दिनांक 24.07.25 से रिपोर्ट भिजवाई है कि ग्राम मंढा के ख0नं0 1441 रकबा 1.26

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

है0 ख0नं0 1442 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.29 है0 की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी के प्रताप पुत्र बक्सा जाति नायक के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में हल चलाकर कृषि कार्य किया गया है। ख0नं0 1441 में पक्की ईट्टों से जिसकी छत कच्ची है, से बना छप्पर है। उक्त खसरा नम्बरान के चारों तरफ तारबंदी हुई है।

वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति चालु जमाबंदी संवत् 2076–2079 प्रदर्श–01, चालू नक्शा प्रदर्श–02, खसरा गिरदावरी संवत् 2013–2017 प्रदर्श–03, खसरा गिरदावरी संवत् 2008–2012 प्रदर्श–04, खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श–05, गिरदावरी संवत् 2012–17 प्रदर्श–06 पेश किए तथा साक्ष्य में शपथ पत्र हेमराज वर्मा पुत्र गोविन्दराम वर्मा जाति बलाई नि0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, शपथ–पत्र ओमप्रकाश पुत्र श्री मन्नालाल जाति बलाई नि0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर, शपथ पत्र सुवालाल पुत्र श्री गंगुराम बलाई नि0 ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़, सीकर पेश किए।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि हमने खसरा गिरदावरी पेश की है, जिसमें हमारा कब्जा काश्त की रिर्पोर्ट है। हमने तीन गवाह करवाये है। जब वादी के दावा का दावा खण्डन नहीं होता है तो वादी का दावा सही माना जाता हैं प्रतिवादी एक्स पार्टी है। जमाबंदी में आज भी प्रतिवादी का ही नाम है। वादीगण का आज दिनांक तक कब्जा है। राजस्व कार्मिकों की गलती से ये नाम चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ किया जावे।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर है कि कृषि भूमि ख0नं0 1441 रकबा 1.2600 है0 ख0नं0 1442 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2900 है0 वाके ग्राम मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है। खसरा गिरदावरी ग्राम मंढा मदनी में संवत् 2023 में गिरदावरी में वादीगण के पूर्वज की काश्त अंकन चली आ रही है। परन्तु खातेदारी पूर्व समय से ही वर्तमान में भी प्रताप पुत्र बक्सा के नाम चली आ रही है। नायब तहसीलदार, पलसाना द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में ख0नं0 1441 रकबा 1.26 है0 ख0नं0 1442 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.29 है0 की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी के प्रताप पुत्र बक्सा जाति नायक के नाम दर्ज रिकार्ड होना बताया है। इस प्रकार पूर्व खातेदार की खातेदारी समाप्त कर वादीगण को खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने से वाद वादीगण स्वीकार करना न्यायालय न्यायहित में उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with OKEN Scanner